


विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या: 2350/33-3-2021-2257/2021 दिनांक: 16 दिसम्बर, 2021 के क्रम में ग्राम पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु निदेशालय स्तर से प्रत्येक जनपद हेतु 25-25 आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर का इम्पैनलमेन्ट करते हुए दिनांक: 30.09.2022 को सूची जनपदों को प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित सूची के अनुसार जनपदों द्वारा इम्पैनलड आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर को उनके मोबाईल पर सूचित भी किया गया है। किन्तु कुछ इम्पैनलड आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर द्वारा अद्यतन जनपद में योगदान नहीं किया गया है।

उपर्युक्त के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से इस विज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाता है कि जिन इम्पैनलड आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर द्वारा अबतक जनपद में योगदान/अनुबन्ध नहीं किया गया है, वे आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर प्रत्येक दशा में दिनांक: 31.10.2022 तक संबंधित जनपदों में योगदान कर लें। दिनांक: 31.10.2022 के बाद आर्किटेक्ट/कन्सल्टिंग इंजीनियर का इम्पैनलमेन्ट हेतु किया गया अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

दिनांक: 18.10.2022

भवदीय



(अनुज कुमार झा)
निदेशक
पंचायती राज 30प्र0।